

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

**FORM-1**  
(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Dehradun.

No

Dated 07.03.2015

**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.0780 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Construction of Submaerjans Motor Road to Chichrad Motor Road(1.00 Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Chichrad village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.0780 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V<sup>th</sup> annexure 23.2, 23, 23.1
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;\
- (c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- As above.

Signature  
(Full name and official seal of the District Collector)  
(Ravi Nath Raman)  
District Magistrate  
Dehra Dun.



**FORM-II**  
**(for projects other than linear projects)**

Government of Uttarakhand

Office of the District Magistrate

No

Dated 07/03/2015

**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.078 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Construction of Submaerjans Motor Road to Chichrad Motor Road (1.00 Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Chichrad village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.078 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V annexure 23.2, 23, 23.1
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of Chichrad village(s) is enclosed as annexure 30.3 To annexure.30.4
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl :- As above.

  
Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

(Rav Nath Raman)

District Magistrate  
Dehra Dun.



## कार्यवृत्त

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय समय पर संशोधित) के धारा-6 (5) तथा पर्यावरण एवं वनमन्त्रालय भारत सरकार के पत्रांक सं० 11-09/98-FC(pt) दिनांक 09.8.2009 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 07/03/2015 में जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्ही अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के right व settlements के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श हुआ-

जनपद- देहरादून के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद देहरादून विकास खण्ड कालसी में सबमरजैस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण निर्माण हेतु 0.078 है० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 26 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु अ०ख०, लो०नि०वि० सहिया को वनभूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा -6(1) के अनुसार चिचराड, ग्राम सभा के ग्राम स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक 15.12.2014 को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा -6(3) के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी कालसी की अध्यक्षता में गठित उपजिलास्तरीय समिति द्वारा उनके बैठक दिनांक 27.2.15 को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव /आख्या के अनुसार वर्तमान में विचाराधीन उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में पाया गया कि चकराता वनप्रभाग की रिवर रनेज के अन्तर्गत सिविल सोयम वन भूमि में चिन्हित भू-भाग पर वनअधिकार हेतु किन्ही अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का कोई Right व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः वनअधिकार हेतु कोई दावा नहीं है।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया। अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गयी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
देहरादून  
सदस्य सचिव

प्रमाणित वन अधिकारी  
चकराता वन प्रभाग चकराता  
सदस्य (देहरादून)

जिलाधिकारी  
देहरादून  
अध्यक्ष  
District Magistrate  
Dehra Dun.



OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Ravi Nath Raman I.A.S District Magistrate, Dehradun on dated 07/03/2015. at time 12.00 PM at Dehradun In which application claiming rights in measuring 0.078 Area hect for the construction of SUBMAERJANS MOTOR ROAD TO CHICHRADMOTOR ROAD forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Kalsi sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...Dehradun

Dated:...07/03/2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Committee

(Ravi Nath Raman)  
District Magistrate  
Dehra Dun.



**प्रपत्र-39.2**

**परियोजना का नाम :-** जनपद देहरादून विकास खण्ड कालसी में सबमरजैस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 0.078 हे० वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

**कार्यालय उप जिलाधिकारी कालसी**

**अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र**

उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील - कालसी) उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत - जनपद देहरादून विकास खण्ड कालसी में सबमरजैस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के जनपद देहरादून विकास खण्ड कालसी में सबमरजैस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.078 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.622 हे० नापभूमि) वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.700 हे० वन भूमि) का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील - कालसी) की दिनांक 27-2-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अशोक पाण्डेय, उप जिलाधिकारी कालसी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री अशोक पाण्डेय ,	उपजिलाधिकारी कालसी देहरादून	(अध्यक्ष)	उप जिलाधिकारी कालसी
2- श्री भारत भूषण मारतोलिया ,	उपप्रभागीय वनाधिकारी ,चकराता वन प्रभाग चकराता	(सदस्य)	उपप्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग कालसी
3- श्री मिठन लाल ,	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	(सदस्य / सचिव)	सहायक समाज कल्याण अधिकारी देहरादून
4- श्री राजेश नौटियाल	बी०डी०सी० क्षेत्र लाच्छा	(सदस्य)	पंचायत सदस्य लाच्छा

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के जनपद देहरादून विकास खण्ड कालसी में सबमरजैस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.078 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.622

तहसील देहरादून  
कालसी


प्रधान ग्राम पंचायत गाँव  
हस्ताक्षर  
दिनांक  
वि०ख०-कालसी




हे० नापभूमि )वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ०.७०० हे० वन भूमि ) का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्तभूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ एवं तत्सम्बंधी नियम २००८ के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून विकास खण्ड कालसी में सबमरजैस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, ०.०७८ हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, ०.६२२ हे० नापभूमि )वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ०.७०० हे० वन भूमि को अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित कर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

  
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील :- कालसी  
जनपद:- देहरादून

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील :- कालसी  
जनपद:- देहरादून



**परियोजना का नाम :-** जनपद देहरादून विकास खण्ड कालसी में सबमरजैस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 0.100 है० वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण

**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र**

ग्राम पंचायत का नाम- गडोल  
तहसील-कालसी, जिला-देहरादून

**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में जनपद देहरादून विकास खण्ड कालसी में सबमरजैस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 0.100 है० वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 0.078 है० सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 0.622 है०) अर्थात् कुल 0.700 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गडोल द्वारा दिनांक 15.12.2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में अ०ख०, लो०नि०वि०, सहिया द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम क्यारी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अ०ख०, लो०नि०वि०, सहिया देहरादून को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

जनपद विकास अधिकारी

विकासखण्ड - कालसी

जनपद - देहरादून

5/1/15

ह०/-

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत गडोल

हस्ताक्षर

दिनांक

वि०ख०-कालसी देहरादून



दिनांक - 15.12.2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्रामपंचायत - गडोल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री खजानसिंह १/० मोहरसिंह चिन्मय	खजानसिंह
2-	श्री दीवानसिंह १/० मोहनसिंह ११	दीवान सिंह
3-	श्री विकास १/० केदारसिंह ११	विकास
4-	श्री लालसिंह १/० सिमराम ११	लाल
5-	श्री राहुलसिंह १/० धुमसिंह ११	Rahul
6-	श्रीमति सईना देवी १/० धुमसिंह ११	सईना
7-	श्रीमति शशनी देवी १/० खजानसिंह ११	शशनी
8-	श्रीमति आशा देवी १/० दिवानसिंह ११	आशा देवी
9-	श्रीमति निर्मला देवी १/० केदारसिंह ११	निर्मला
10-	श्रीमति सावित्री देवी १/० धारासिंह ११	सावित्री देवी
11-	श्रीमति रेखा देवी १/० आनन्दसिंह ११	रेखा
12-	श्री परमसिंह १/० मोहरसिंह ११	परम
13-	श्री विक्रमसिंह १/० सुकान्तसिंह ११	विक्रम
14-	श्री सुरजसिंह १/० कुहराम ११	सुरज
15-	श्री आनन्दसिंह १/० सुरेन्द्रसिंह ११	आनन्द
16-	श्री शविसिंह १/० सुरेन्द्रसिंह ११	शवि
17-	श्री अकितसिंह १/० धारासिंह ११	अकित
18-	श्रीमति कमला देवी १/० शविसिंह ११	कमला देवी
19-	श्रीमति पानो देवी १/० परमसिंह ११	पानो देवी

ह0/-

ग्राम प्रधान गडोल

ग्राम पंचायत गडोल

हस्ताक्षर

दिनांक

वि०ख०-कालसी, देहरादून